झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ,
नामकुम, राँची 834010

शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति संख्या 47 / 2016

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1863 दिनांक 22.09.2012, 2074 दिनांक 03.11.2012, सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 628 दिनांक 06.04.2016 एवं निदेशक (प्रा0शि0), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1455 दिनांक 17.08.2016 के आलोक में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ताधारी अभ्यर्थियों से परिषद् के बेवसाईट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 08.09.2016 से 05.10.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं–

1. **वांछित अर्हत्ता एवं योग्यता –**

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) **प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए :–**

(अ) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

या

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

(ii) **उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए :–**

(क) स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों, के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी०ए०/बी०एस०सी०एड० या बी०ए०एड०/बी०एस०सी०एड०

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनत्तम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण चर्या पूरी हो गयी हो और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (Final) का अयोजन हो गया हो, भी शिक्षक अर्हत्ता जाँच परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने के बाद परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी जानकारी परिषद् के बेवसाईट पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थित्व स्वतः रद्द समझा जायेगा।

2. **शिक्षक अर्हत्ता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा –**

(क) अर्हत्ता जाँच परीक्षा के दो स्तर होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु इसके लिये उन्हें विहित शुल्क के साथ परिषद् के बेवसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।

(i) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए **TET- Lavel 1**

(ii) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए **TET- Lavel 2**

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा अर्थात सभी विषयों की परीक्षा के लिए एक साथ प्रश्न दिये जायेंगे जिसनें एक खण्ड में भाषा दो के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न रहेंगे एवं दूसरे खण्ड में भाषा दो का प्रश्न पत्र रहेगा। **परीक्षा अवधि दो घंटा तीस मिनट की होगी।** दोनों स्तर की परीक्षा एक ही दिन दो अलग–अलग पालियों में आयोजित होगी।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए निम्नवत् अर्हत्ता जाँच परीक्षा ली जायेगी।

क्र०	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
i	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
ii	भाषा–I (अ) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (ब) उर्दू सहायक शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी	30	30
iii	भाषा–II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	30	30
iv	गणित	30	30
v	पर्यावरण अध्ययन	30	30

(घ) उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के लिए निम्नवत् अर्हत्ता जाँच परीक्षा ली जायेगी :

क्र०	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
i	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
ii	भाषा–I (अनिवार्य) (अ) सामान्य शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (ब) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी	30	30
iii	भाषा–II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा (अनिवार्य)	30	30
iv	(अ) गणित एवं विज्ञान (गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए)	60	60
	(ब) समाज अध्ययन (समाज अध्ययन शिक्षक के लिए)	60	60
	(स) किसी अन्य शिक्षक के लिए iv (अ) अथवा iv (ब)		

(ङ.) जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का

माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा, किन्तु उर्दू एवं अंग्रेजी विषयों के प्रश्न पत्र क्रमशः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं में होंगी और इन विषयों में परीक्षा का माध्यम भी उर्दू एवं अंग्रेजी होगा।

(च) **भाषा–II के अन्तर्गत जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (झारखण्ड प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अनुसूची –I के अन्तर्गत जिलावार जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची के अनुसार) में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।**

(i) अभ्यर्थी जिस जिला के निवासी है, वे आवेदन पत्र में उस जिला का एवं अन्य के लिए निर्धारित (निम्नांकित) कोड भरेंगे एवं जिस क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं का चयन करते हैं उसका भी कोड अंकित करेंगे –

(क) जिला का कोड निम्नवत् है :–

जिला का नाम	कोड	जिला का नाम	कोड
राँची	01	रामगढ़	13
खूँटी	02	कोडरमा	14
लोहरदगा	03	चतरा	15
गुमला	04	बोकारो	16
सिमडेगा	05	धनबाद	17
प० सिंहभूम	06	गिरिडीह	18
पूर्वी सिंहभूम	07	दुमका	19
सरायकेला–खरसावां	08	जामताड़ा	20
लातेहार	09	देवघर	21
पलामू	10	गोड्डा	22
गढ़वा	11	पाकुड़	23
हजारीबाग	12	साहेबगंज	24
		अन्य (झारखण्ड राज्य से बाहर) के लिए	25

(ख) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के कोड निम्नांकित है :–

भाषा	कोड	भाषा	कोड
कुडुख (उराँव)	51	कुरमाली	60
खडिया	52	नागपुरी	61
मुंडारी	53	पंचपरगनिया	62
असुर	54	बंगला	63
बिरहोर	55	उड़िया	64
हो	56	मगही	65
भूमिज	57	भोजपुरी	66
संथाली	58	खोरठा	67
माल्तो	59	अंगिका	68

(छ) बंगला एवं उड़िया के अलावे सभी क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की लिपि देवनागरी होगी।

(ज) परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्पीय होंगे एवं उत्तर OMR Sheet पर देना होगा। **"यहाँ यह स्मारित करना आवश्यक है कि परीक्षा के दौरान OMR Sheet पर दिये गए निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़े एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। OMR गलत भरने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द किया जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।"**

(झ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु कि अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 52 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी online आवेदन के समय आरक्षण का लाभ (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियम/उपनियम/निदेश/परिपत्र/पत्र आदि के आलोक में) प्राप्त करने हेतु अपना आरक्षण कोटि को ही सावधानीपूर्वक भरेंगे। कोटि गलत दर्ज करने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. परीक्षा शुल्क :–

(क) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए

- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए – 500/–
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग (नियमानुसार अनुमान्यता वाले) के अभ्यर्थियों के लिए – 250/–

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए

- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए – 500/–
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग (नियमानुसार अनुमान्यता वाले) के अभ्यर्थियों के लिए – 250/–

(ग) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) दोनों के लिए

- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए – 1000/–
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग (नियमानुसार अनुमान्यता वाले) के अभ्यर्थियों के लिए – 500/–

❖ **शुल्क जमा करने के पश्चात् वापस योग्य नहीं होगा। (Fee not refundable)**

4. अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्र जो जैक के बेवसाईट पर भरा जाएगा, का एक प्रिंट निकालकर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में परिषद् के साथ किये जानेवाले पत्राचार में उक्त की छायाप्रति संलग्न करेंगे।

5. सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के बेवसाईट पर यथा समय डाला जायेगा जिसकी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायेगी ताकि उसे वे ससमय डाउनलोड कर सकें। डाक द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।

6. आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जाँच नियुक्ति के समय की जायेगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जायेगा तो उनका अभ्यर्थित्व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी रद्द माना जायेगा एवं इसकी जबावदेही अभ्यर्थी की होगी।

7. सफल उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्र की वैधता उनके शैक्षणिक/प्रशैंक्षणिक उपाधियां एवं अन्य बांछित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणिकता/सत्यता के फलाफल पर निर्भर करेगा।

8. **शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक/अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अहर्त्ता जाँच परीक्षा है।**

कृपया वेबसाईट के होम पेज पर उपलब्ध सभी संबंधित आवश्यक सूचनाओं को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। प्रत्येक विन्दु को स्पष्ट तौर पर समझ लें, तत्पश्चात् समुचित अर्हता रखने के संबंध में सुनिश्चित हो लेने के पश्चात् ही ऑनलाइन हेतु पृष्ठवार प्रविष्टि दर्ज करेंगे।

नोट :– विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

पत्रांक JAC/Tet/2432/Secy/312/16
दिनांक – 30.8.2016
01-9.2016

अध्यक्ष के आदेश से

(रजनीकान्त वर्मा) 30/8
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची